

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)आपराधिक प्रक०क्र०-1047/2014संस्थित दिनांक-20.11.14

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मौ

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

सुन्दर पुत्र रज्जू उर्फ राजाराम उम्र 38 साल

निवासी उझावल थाना मौ जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 16.08.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 506 भाग दो विकल्प में 190 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 04.06.14 को 8 बजे फरियादी रामस्वरूप के घर के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी रामस्वरूप को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, रामस्वरूप को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा विकल्प में यह भी आरोप है कि उसने रामस्वरूप को जान से मारने की धमकी देकर उत्प्रेरित किया कि वह लोकसेवक पुलिस को संरक्षकता हेतु एफ०आई०आर० करने से विरत रहे जिसे करने हेतु वह वैध रूप से सशक्त है।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 04.06.14 को करीबन 8 बजे फरियादी रामस्वरूप अपने दरवाजे पर बैठा था उसी समय उसका पड़ोसी अभियुक्त सुंदर आया तो फरियादी ने सुंदर से कहा कि क्या काम हैं, घर के आसपास क्यों चक्कर लगाते हो तो अभियुक्त गाली देकर बोला मादरचोद बुढ़े तेरा दिमाग खराब है, बहुत बोलता है। जब फरियादी ने कहा कि वह थाने में रिपोर्ट करेगा तो अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र०-209/14 पंजीबद्ध किया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.06.14 को 8 बजे फरियादी रामस्वरूप के घर के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी रामस्वरूप को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने रामस्वरूप को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विकल्प में //

क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने रामस्वरूप को जान से मारने की धमकी देकर उत्प्रेरित किया कि वह लोकसेवक पुलिस को संरक्षकता हेतु एफ०आई०आर० करने से विरत रहे जिसे करने हेतु वह वैध रूप से सशक्त है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामस्वरूप अ०सा० 1, बालकदास अ०सा० 2, निहालसिंह अ०सा० 3, पानसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

// विचारणीय प्रश्न क० 1 का निष्कर्ष //

6. फरियादी रामस्वरूप अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना रात 8 बजे की उसके घर की है। अभियुक्त सुंदर वहां घूम रहा था। जब उसने अभियुक्त से कहा कि यहां क्यों घूम रहे हो तो वह बोला कि “तुझे क्या समस्या है, तेरी माँ चोद देंगे, मैंने कहा कि गाली मत दे नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा, तब सुंदर ने कहा कि रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे।” इस प्रकार से फरियादी रामस्वरूप अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में उसके घर के सामने की घटना बताते हुए घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 1 किया जाना उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं तथा घटना स्थल के संबंध में नक्शामौका प्र०पी० 2 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। नक्शामौका प्र०पी० 2 के अनुसार घटनास्थल फरियादी रामस्वरूप के घर के सामने दर्शाया गया है जो कि सार्वजनिक स्थल के रूप में दर्शाया गया है। जबकि स्वयं फरियादी रामस्वरूप अ०सा० 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार करता है कि सुंदर दरवाजे पर

खड़ा था और स्वतः कथन करता है कि उसके घर के अंदर पहुंच गया था जबकि घर के अंदर पहुंच जाने की बात रिपोर्ट प्र०पी० 1 में लेख नहीं हैं। इस प्रकार से स्वयं फरियादी के कथन में अभिकथित घटना लोक स्थान पर हुई अथवा उसके घर के अंदर, इसके संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाता है।

7. रामस्वरूप अ०सा० 1 ने घटना के साक्षी पानसिंह एवं बालकदास बताए हैं जिनमें बालकदास अ०सा० 2 एवं पानसिंह अ०सा० 4 के रूप में परीक्षित कराए गए। बालकदास अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि वे छेडी के घर की ओर से आ रहा था तब रामदेवी सामने से रोती हुई आ रही थी, उसने बताया कि अभियुक्त सुंदरसिंह गाली गलौंच कर रहा था। साक्षी द्वारा किस रामदेवी की बात की गयी, यह स्पष्ट नहीं हैं। साथ ही सुंदर के गाली गलौंच करने की बात उसे अभिकथित रामदेवी से पता चलने का कथन किया है जबकि रामदेवी नाम की कोई साक्षी न तो फरियादी द्वारा बताई गयी है न ही अभियोजन की साक्ष्य सूची में संलग्न हैं। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि उसके समक्ष फरियादी तथा अभियुक्त का कोई झगडा नहीं हुआ। ऐसे में साक्षी की अभिसाक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है। पानसिंह अ०सा० 4 घटना की कोई भी जानकारी होने से इंकार करते हैं और पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न में अभियुक्त द्वारा फरियादी रामस्वरूप सुसंगत घटना दिनांक व समय पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द अथवा गालियां उच्चारित किए जाने के संबंध में कोई भी समर्थन नहीं करते हैं।

8. संहिता की धारा 294 के अपराध को गठित किए जाने हेतु न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत—**Asharam Bapu v. Aman Singh Dangi and others 2015 CRI. L. J. 1765** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कण्डिका 17 में संहिता की धारा 294 के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित सिद्धांत की ओर आकर्षित होता है जिसमें अभिनिर्धारित किया—

17. Same allegations were also made by the complainant and his witnesses, though with certain inconsistencies, in their statements recorded under section 200 and 202 of Cr.P.C., but therein nowhere it was stated by the complainant that due to aforesaid abusive words, he became annoyed. Therefore, mere utterances of some abuses are not sufficient to constitute an offence under section 294 of I.P.C. This view was taken by this court in the cases of **Sobaran Singh V. State 1962 J.L.J. SN 135 and Banshi V. Ramkishan [1997 (II) MPWN SN 224]**. Apart that, explanation was not given by the complainant that why the written complaint was made belatedly after a period of three days, i.e., on 7/2/2013 when incident occurred on 4/2/2013. Shrinath Awasthy (PW-2) and Vikram Singh Danti (PW-3) have not stated anything that after hearing the abusive words, they have got or anybody has got annoyed. In the aforesaid premises, in the considered opinion of this court, no offence is made out under Section 294 of I.P.C., against the petitioner.

न्यायदृष्टांत—**K. Juyaramanuju v. Janakaraj and others 1997 CRI. L. J. 1623** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 294 के संबंध में अभिव्यक्त किया—“To prove the

offence under Section 294, I.P.C. mere utterance of absence words are not sufficient, but there must be a further proof to establish that it was to the annoyance of others, which is lacking in this case.”

9. संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द या गाली उच्चारित किए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य हो। साथ ही अभिकथित गाली या अश्लील शब्द सुनकर फरियादी को क्षोभकारित हुआ हो, इस संबंध में भी अभिलेख पर तथ्य होना आवश्यक है। प्रकरण में अभिकथित रूप से फरियादी रामस्वरूप अ०सा० 1 द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि उसकी तथा अभियुक्त की पहले से रंजिश चली आ रही है और कोई बोलचाल नहीं हैं। साक्षी स्वीकार करता है कि जो प्रकरण में चक्षुदर्शी पानसिंह व बालकदास बताए हैं उनके मकान उसके घर से दूर हैं जबकि रामस्वरूप तथा गौरीशंकर के मकान पास में हैं और वे मकान में रहते भी हैं फिर भी उक्त व्यक्तियों को प्रकरण का साक्षी नहीं बनाया गया है। फरियादी ने अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसे व सुनने वालों को अभिकथित शब्द को सुनकर क्षोभकारित हुआ हो अथवा बुरा लगा हो। ऐसे में उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में मात्र गाली दिए जाने के तथ्य के आधार पर संहिता की धारा 294 का अपराध गठित नहीं हो जाता है।

/विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 का सकारण निष्कर्ष/

10. फरियादी रामस्वरूप अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जब अभियुक्त ने उसे गाली दी तो उसने अभियुक्त को गाली देने से मना किया और न मानने पर रिपोर्ट करने की धमकी दी तो अभियुक्त ने कहा कि अगर रिपोर्ट की तो जान से मार देगा। फरियादी द्वारा अभिकथित जान से मारने की धमकी के समर्थन में चक्षुदर्शी साक्षी बालकदास अ०सा० 2 एवं पानसिंह अ०सा० 4 ने कोई समर्थन नहीं किया है। जहां तक फरियादी के कथन का प्रश्न है तो उसने अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसे अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। जहां तक संहिता की धारा 506 भाग दो के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु मात्र यह अभिसाक्ष्य कि अभियुक्त द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी बल्कि यह भी आवश्यक है कि अभिकथित जान से मारने की धमकी दिए जाने से फरियादी को भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो। उक्त भय अथवा संत्रास के संबंध में न्यायालय को अपना निष्कर्ष देने हेतु मौखिक व फरियादी के आचरण पर आधारित तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष देना होता है। साक्षियों ने अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित रूप से रिपोर्ट करने जाने पर जान से खत्म कर देंगे, की धमकी दिए जाने का तथ्य अवश्य अपनी अभिसाक्ष्य में प्रकट किया है किन्तु भय अथवा संत्रास कारित हुआ हो, इस संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

11. जहां तक प्रकरण में फरियादी के आचरण का प्रश्न है तो प्र०पी० 1 की प्राथमिकी घटना दिनांक को ही लगभग ढाई घण्टे की अवधि के भीतर ही लेख की गयी है। प्रकरण में यहां फरियादी रामस्वरूप का आचरण भी उल्लेखनीय है जो अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करते हैं कि वे रिपोर्ट करने मोटरसाईकिल से रात लगभग 10-11 बजे थाने पर पहुंच गए थे और थाने पर पहुंचकर आधा घण्टे बाद रिपोर्ट लिखाई थी। पहले यह कथन करते हैं कि वे रिपोर्ट करने अकेले गए थे एवं मोटरसाईकिल नहीं चला पाते हैं फिर कथन करते हैं कि उनके साथ उनका लडका गया था जिसका नाम उदल है। ऐसे में साक्षी द्वारा तथ्यों को छिपाने का प्रयास दर्शित है। जहां अभियुक्त से फरियादी की रंजिश स्थापित है वहां किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा समर्थन न किए जाने के कारण उसका आचरण संदिग्ध हो जाता है और तथ्यों को छिपाने का प्रयास भी संदेह उत्पन्न कर देता है। साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि सुंदरसिंह का बड़ा भाई गांव का सरपंच है। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि अभियुक्त सुंदरसिंह पैर से विकलांग है। कण्डिका 4 के अंत में स्वीकार करता है कि उसने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया वह चुनाव में हार गया और अमरसिंह जो आरोपी सुंदर का भाई है वह चुनाव जीत गया था। इस प्रकार से अभियुक्त व फरियादी के मध्य स्थापित रूप से रंजिश विद्यमान हैं। ऐसे में बिना संपुष्टि के फरियादी के कथन पर विश्वास किए जाने का आधार उत्पन्न नहीं होता है। फरियादी रामस्वरूप अ०सा० 1 ने संपूर्ण अभिसाक्ष्य में उसे अभिकथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित होने का कोई कथन नहीं किया है और आचरण से भी यह परिलक्षित नहीं है कि वह भय अथवा संत्रास से ग्रस्त था। **न्यायदृष्टात-रोशनलाल वि० म०प्र० राज्य 1968 एम पी एल जे 172** में माननीय न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया कि धारा 506बी के अपराध के प्रमाण हेतु आहत/पीडित व्यक्ति के द्वारा उसे भय अथवा संत्रास कारित होने का तथ्य अभिलेख पर होना चाहिए। अतः संहिता की धारा 506 भाग-2 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। साथ ही फरियादी के द्वारा किए गए कथन एवं उसके आचरण में विरोधाभास व रंजिश के तथ्य को देखते हुए अभिकथित रूप से उसे ऐसी कोई क्षति की धमकी से वह उत्प्रेरित हुआ हो कि वह ऐसी क्षति से संरक्षा हेतु कोई वैध आवेदन किसी लोक सेवक को करने से विरत रहा हो या प्रतिविरत रहा हो। अतः संहिता की धारा 190 का आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 04.06.14 को 8 बजे फरियादी रामस्वरूप के घर के पास थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी रामस्वरूप को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, रामस्वरूप को संत्रास कारित करने के

आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया तथा विकल्प में यह भी आरोप है कि उसने रामस्वरूप को जान से मारने की धमकी देकर उत्प्रेरित किया कि वह लोकसेवक पुलिस को संरक्षकता हेतु एफ0आई0आर0 करने से विरत रहे जिसे करने हेतु वह वैध रूप से सशक्त है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 294, 506 भाग दो विकल्प में 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेगा।

14. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

15. अभियुक्त की निरोधावधि यदि हो तो उसके संबंध में धारा 428 दप्रसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश